(N)

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

Summons

फाइल. सं. NCST/DEV-1138/MH/29/2022-RO-BH

श्री गंगाथरन डी,
जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी,
जिला-नाशिक,
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जुना आग्रा रोड,
नाशिक- 422 002, महाराष्ट्र,
ई-मेल: collector.nashik@maharashtra.gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष **दिनांक 16.06.2023 को अपराहन 12:00 बजे,** आयोग मुख्यालय, 6 वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एततद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलें का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. नाशिक जिले में वनाधिकार एवं पेसा (PESA) कानून के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का निराकरण करने के संबंध में वयम फ़ाउंडेशन, 12 शायली शेल्टर्स, विट्ठल मंदिर के पीछे, कर्व नगर, पुणे, महाराष्ट्र का दिनांक 17.10.2022 का अभ्यावेदन।

सन्दर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 08.12.2022.

सन्दर्भ 3: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 17.03.2023.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 08, जून, 2023 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

मोहर

न्यायालय अधिकारी
Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003